

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्राक--मु0 अ0-4 (मु0)--रा0यो0--03--391/2019 - 6137

/पटना, दिनांक-20/11/19

प्रेषक,

सजय दूवे, मा0प्र0सं0
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय: योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत राज्य के सुपौल जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल त्रिवेणीगंज के क्षेत्राधीन पिपरा प्रखंड के रतौली एवं जरौली के मध्य विद्यालय से पूरब भूतही नदी में पुल का निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 54.16 मी0 निर्माण हेतु रू0 319.86 लाख अनुसूचना की राशि रू0 2.43 लाख अर्थात् कुल 322.29 लाख रुपये (तीन करोड़ बाईस लाख उन्तीस हजार रू0) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-उप शीर्ष-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उप शीर्ष के अन्तर्गत राज्य के सुपौल जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल त्रिवेणीगंज के क्षेत्राधीन पिपरा प्रखंड के रतौली एवं जरौली के मध्य विद्यालय से पूरब भूतही नदी में पुल का निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 54.16 मी0 निर्माण हेतु रू0 319.86 लाख अनुसूचना की राशि रू0 2.43 लाख अर्थात् कुल 322.29 लाख रुपये (तीन करोड़ बाईस लाख उन्तीस हजार रू0) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

1. इस योजना को दो वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में पूरा किया जाने का लक्ष्य है।
2. कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल त्रिवेणीगंज इस योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
3. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायगी।
4. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष जिसका विपत्र कोड 37-4515001030105 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
5. योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में 459.31 करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।
6. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता कार्य अचल, मधेपुरा एवं मुख्य अभियंता-2 के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
7. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल त्रिवेणीगंज यह सुनिश्चित करेंगे कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है।
8. इस योजना का चयन मा0 मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा सचिका संख्या-- मु0अ0-4 (मु0)-रा0यो0-03-391/2019 के पृ0सं0-03/टि0 पर दिनांक 09.10.2019 को किया गया है।
9. इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार सचिव ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा सचिका सं0- मु0 अ0-4 (मु0) रा0यो0-03-391/2019 के पृ0 सं0-05/टि0 पर दिनांक-22.10.2019 को प्राप्त है।
10. ब्रांड के निर्धारित प्रावधान प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत राशि की निकासी की जाएगी।

G.K.

19/11/19

11. कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित करा कर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकारसी एवं व्ययन करेगे।
12. वित्त विभाग के सकल्प संख्या--3758 दिनांक- 31.05.2017 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाएगी।
13. यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका सं०- मु० अ०-4 (मु०) रा०यो०-03-391/2019 के पृष्ठ संख्या--8 / टि० पर दिनांक-19.11.19 को प्राप्त है।
14. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
15. प्रावकलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
16. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जाएगा एवं कार्यों को ससमय तथा गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएंगे।
17. वित्त विभाग के पत्रांक-770, दिनांक 20.09.11 के द्वारा सूचित किया गया है कि RIDF के अन्तर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही ऋण स्वीकृति हेतु नाबार्ड को भेजी जाय।

विश्वासभाजन


19/11/19

(संजय दूबे)

अपर सचिव

/पटना, दिनांक-20/11/19

ज्ञापक मु० अ०-4 (मु०)-रा०यो०-03-391/2019- 6137

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


19/11/19

अपर सचिव

/पटना, दिनांक-20/11/19

ज्ञापक मु० अ०-4 (मु०)-रा०यो०-03-391/2019 - 6137

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, प्रमण्डलीय आयुक्त, सहरसा/जिला पदाधिकारी, सुपौल/उप विकास आयुक्त, सुपौल/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सचिव सह इम्पावर्ड ऑफिसर, BRRDA, मुख्य अभियंता-2 पटना, ग्रामीण कार्य विभाग/मु० अ०-4 (मुख्यालय), ग्रा० का० वि०/अधीक्षण अभियंता, ग्रा० का० वि०, कार्य अचल, मधेपुरा कार्यपालक अभियंता, ग्रा० का० वि० कार्य प्रमंडल, त्रिवेणीगंज/मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड, बिहार क्षेत्रीय कार्यालय, (मौर्या कम्पलेक्स, पॉचवी मंजिल) डाक बंगला रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई०टी० नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित। एम० आई० एस० नोडल ग्रामीण कार्य विभाग को स्टेट एम० आई० एस० में प्रविष्टि हेतु प्रेषित।


19/11/19

अपर सचिव